<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>हस्ताक्षरयुक्त आदेश</th><th>कार्यालय अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>28.03.2024</td><td>

वाद संख्या–65/2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी के पति, ग्राम0–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, देवघर ऑडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर अनुपस्थित एवं सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय आयोग कार्यालय में उपस्थित।

शिकायकर्ता के पति ने आयोग को आज की सुनवाई में बताया कि पिछले आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है। शिकायकर्ता के पति ने बताया कि आयोग में सुनवाई प्रारम्भ होने के बाद दो अवसरों में उनसे संबंधित दस्तावेज की मांग की गई जो उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद उन्हें राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेश देता है कि वो इस आशय का स्पष्टीकरण जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से पूछें कि आयोग के निदेश के बावजूद आयोग के आदेश के अनुपालन का प्रमाण क्यों नहीं प्रेषित किया गया और सुनवाई में भी वो न तो व्यक्तिगत तौर पर न ही उनके प्रतिनिधि सशरीर उपस्थित रहे न ही दूरभाष के माध्यम से। आयोग निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को निदेश देता है कि वो अगली सुनवाई से पूर्व लाभुक को योजना का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति शिकायतकर्ता के साथ–साथ सभी संबंधितों को अनुपालनार्थ भेजें। दिनांक–12.04.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Premlata\Court 1.docx18

</td><td></td></tr>
</table>